उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग–5
संख्या–1161/अड़तीस–5–12–02 स्वजल/2011
लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के वर्ष 2010 में जारी दिशा–निर्देश के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 'राज्य पे[illegible] [illegible]र गठ[illegible] [illegible]।

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन – अध्यक्ष
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन –उपाध्यक्ष
(3) प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(7) प्रमुख सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
(8) प्रमुख सचिव/ सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
(9) प्रमुख सचिव/ सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग –सदस्य
(10) प्रमुख सचिव/ सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(11) प्रमुख सचिव/ सचिव, ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(12) प्रमुख सचिव/ सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(13) प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(14) प्रमुख सचिव/ सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन –सदस्य
(15) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ। –सदस्य
(16) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ –सदस्य
(17) अध्यक्ष द्वारा नामित जल विज्ञान, सूचना शिक्षा संचार, मानव संसाधन, एम0आई0एस0, गैर सरकारी संगठन आदि के विशेषज्ञ / प्रतिनिधि –सदस्य
(18) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ –सदस्य सचिव

2– राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी, जो प्रदेश स्तर पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता से सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय व कन्वरजेन्स प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगी :–

i. नीतिगत दिशा–निर्देश देना,
ii. विशेष परियोजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियो का सम्मिलन
iii. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा सम्बन्धित गतिविधियों के बीच समन्वयन,
iv. भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं का प्राविधान,
v. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दोनों के लिए संचार एवं क्षमता विकास कार्यक्रमो का एकीकरण

Scanned with OKEN Scanner

ण. कार्यक्रम कोष एवं सहयोग कोष के लेखा का रखरखाव एव लेखा का आवश्यक आडिट करवाना।

[illegible] प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के [illegible] एकीकृत कियान्वयन व सामुदायिक सहभागिता के संस्थानीकरण में वांछित [illegible] हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन प्रदेश सरकार को कार्यात्मक लचीलापन भी प्रदान करेगी।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः 1161 (1)/अड़तीस–5–2011, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन के समस्त सदस्यगण।
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मिशन के मेमोरेन्डम ऑफ एसोशिएशन में उल्लिखित एपेक्स कमेटी के स्थान पर उपरोक्तानुसार वांछित संशोधन कराने का कष्ट करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो० लि०, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner